3/4

अपील क्रमांक 218/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /05/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 218/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री डी.आर. यादव, प्लॉट नं.–4, साई मंगलम के पास, विद्युत नगर, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) मो. 7999491838	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 02.05.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री डी.आर. यादव द्वारा दि. 07.04.2025 को प्रस्तुत, इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2025 को प्राप्त प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 02.05.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है – आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "जल संसाधन विभाग में नदी नालों में स्थापित गेट–जलद्वार आदि का रिपेयर/मेन्टीनेन्स आदि एवं नये गेट स्थापित किए जाते है। यह कार्य डिवीजन कार्यालय द्वारा जैसे कि वि./यां. ला.म. नलकूप एवं गेट डिवीजन रायपुर द्वारा कराये जाते है। कार्यो का फिजिकल वैरीफिकेसन होने के पश्चात फर्मो को पेमेन्ट करना अनिवार्य है। परन्तु श्री आर.के. शर्मा, ईई वि./यां. डिवीजन रायपुर में पदस्थ ईई दिव्यांग है साइट नहीं जा सकते फिर किस अधिकार/नियम के तहत फर्मो को पेमेन्ट करते है। नियम की सत्यापित प्रति" उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 15.02.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट से सूचित किया गया।

.....2

3. सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियंता वि./यां. मंडल, रायपुर को जानकारी देने निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता वि./यां. मंडल, रायपुर कार्यालय ने दिनांक 06.03.2025 को कार्यपालन अभियंता वि./यां. ला.म. नलकूप एवं गेट डिवीजन रायपुर को हस्तांतरित किया गया, जहां से आवेदक को कोई जानकारी नहीं दिये जाने कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी दिनांक 02.05.2025 को सुनवाई में अनुपस्थित थे। उन्होंने उनके पत्र क्रमांक 4112275/80/छ.ग./2025/3619, दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय का आवक क्रं. 292 दिनांक 19.02.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित जानकारी अधीक्षण अभियंता वि./यां. मंडल, रायपुर से संबंधित होने के कारण आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) (ii) के तहत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/80/छ.ग./2025/2007, दिनांक 03.03.2025 द्वारा मूलतः हस्तांतरित किया गया।

5. अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियंता वि./यां. मंडल, रायपुर को जानकारी देने निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता वि./यां. मंडल, रायपुर कार्यालय ने दिनांक 06.03.2025 को कार्यपालन अभियंता वि./यां. ला.म. नलकूप एवं गेट डिवीजन रायपुर को हस्तांतरित किया गया, जहां से आवेदक को कोई जानकारी नहीं दिये जाने कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक को जन सूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता वि./यां. ला.म. नलकूप एवं गेट डिवीजन रायपुर से जानकारी प्राप्त न होने की दशा में, उन जनसूचना अधिकारी के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अर्थात प्रथम अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू–जल सर्वेक्षण मंडल रायपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। किन्तु अपीलार्थी ने इस कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रेषित की है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को, आवेदन में वांछित जानकारी का निकटतम संबंध रखने वाले संबंधित जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6 (3) (ii) के तहत हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है। किन्तु प्रथम अपील के तहत प्राप्त आवेदन को हस्तांतरित किये जाने का कोई प्रावधान अधिनियम में उल्लेखित नहीं है। अतः अपील का न्यायसंगत निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि 1. क्या वास्तव में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) (ii)

.....3

के तहत मूलतः हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही सही थी? इस प्रश्न का निराकरण किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना आवश्यक है। आवेदक ने अपने आवेदन में **"जल संसाधन विभाग में नदी नालों में स्थापित गेट–जलद्वार आदि का रिपेयर/ मेन्टीनेन्स आदि एवं नये गेट स्थापित किए जाते है। यह कार्य डिवीजन कार्यालय द्वारा जैसे कि वि./यां. ला.म. नलकूप एवं गेट डिवीजन रायपुर द्वारा कराये जाते है। कार्यो का फिजिकल वैरीफिकेसन होने के पश्चात फर्मो को पेमेन्ट करना अनिवार्य है। परन्तु श्री आर.के. शर्मा, ईई वि./यां. डिवीजन रायपुर में पदस्थ ईई दिव्यांग है साइट नहीं जा सकते फिर किस अधिकार/नियम के तहत फर्मो को पेमेन्ट करते है। नियम की सत्यापित प्रति"** उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था। ऐसे अधिकार/नियम हेतु जनसूचना अधिकारी को कार्यालय की स्थापना शाखा से संपर्क करना था और यदि आवेदन को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक ही होता तो उसे उस कार्यपालन अभियंता के नियंत्रणकर्ता संबंधित अधीक्षण अभियंता अर्थात अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू–जल सर्वेक्षण मंडल रायपुर को हस्तांतरित करना चाहिये था। जनसूचना अधिकारी को आवेदनों का निराकरण करते समय सजग होकर न्यायसंगत निराकरण करना चाहिये।

7. अपीलार्थी ने अपने आवेदन में किसी फर्म को किये गये पेमेंट की जानकारी नहीं मांगी थी। वरन् उनके द्वारा दिव्यांगजन शासकीय सेवक को मैदानी पदस्थापना में पदस्थ किये जाने पर फर्मों को पेमेंट किये जाने वाले अधिकार/नियम की सत्यापित प्रति मांगी थी। शासन द्वारा जल संसाधन विभाग में किसी संभाग में किसी कार्यपालन अभियंता की पदस्थापना किये जाने पर पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु उस पद के प्रशासनीक एवं वित्तीय अधिकार, संबंधित कार्यपालन अभियंता के हो जाते हैं। जिनका उपयोग संबंधित अभियंता अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिये करता है। शासकीय कार्यप्रणाली में कोई भी कार्यालय प्रमुख उस पद पर प्रत्यायोजित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करने हेतु, उस पर पदस्थ होते ही अधिकृत होते हैं। जहां तक दिव्यांगजन शासकीय सेवक को पेमेंट किये जाने के अधिकार/नियम की प्रति का प्रश्न है, तत्संबध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय II की धारा 3 का उद्धरण निम्नानुसार हैः–

CHAPTER II RIGHTS AND ENTITLEMENTS

3. **(1) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others.**

(2) The appropriate Government shall take steps to utilise the capacity of persons with disabilities by providing appropriate environment.

(3) No person with disability shall be discriminated on the ground of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim.

.....4

(4) No person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground ofdisability.

(5) The appropriate Government shall take necessary steps to ensure reasonable accommodation for persons with disabilities.

8. उक्त प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनयम 2016 में दिव्यांगजन शासकीय सेवक को अन्य व्यक्तियों के समान ही समानता, सम्मान के साथ और दूसरों के समान ही अपनी ईमानदारी के प्रति सम्मान का अधिकार प्राप्त है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में दिव्यांगजन शासकीय सेवक को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु फर्मों के पेमेंट किये जाने हेतु पृथक से किसी नियम के होने की आवश्यकता नहीं है। शासन, दिव्यांगजन शासकीय सेवक की क्षमता अनुसार उन्हें किसी भी कार्यालय में पदस्थ कर सकता है। अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन में वांछित जानकारी एवं प्रथम अपील आवेदन में संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा, उनके अधीन संपादित होने वाले कार्यों के फिजिकल वेरीफिकेशन हेतु साइट ना जाने संबंधी शिकायत का उल्लेख है, तत्संबंध में यदि ऐसी कोई स्थिति हो तो, उसके लिये सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के स्थान पर पृथक से शिकायती आवेदन संबंधित कार्यपालन अभियंता से उच्च स्तर के किसी भी अधिकारी से कर सकते हैं।

9. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है :–

1. अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा वांछित जानकारी **"जल संसाधन विभाग में नदी नालों में स्थापित गेट–जलद्वार आदि का रिपेयर/मेन्टीनेन्स आदि एवं नये गेट स्थापित किए जाते है। यह कार्य डिवीजन कार्यालय द्वारा जो कि वि./यां. ला. म. नलकूप एवं गेट डिवीजन रायपुर द्वारा कराये जाते है। कार्यों का फिजिकल वैरीफिकेसन होने के पश्चात फर्मों को पेमेन्ट करना अनिवार्य है। परन्तु श्री आर.के. शर्मा, ईई वि./यां. डिवीजन रायपुर में पदस्थ ईई दिव्यांग है साइट नहीं जा सकते फिर किस अधिकार/नियम के तहत फर्मों को पेमेन्ट करते है। की सत्यापित प्रति"** हेतु जनसूचना अधिकारी को कार्यालय की स्थापना शाखा से संपर्क करना चाहिये था और यदि आवेदन को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक ही होता तो, उसे उस कार्यपालन अभियंता के नियंत्रणकर्ता अधीक्षण अभियंता अर्थात अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू–जल सर्वेक्षण मंडल रायपुर को हस्तांतरित करना चाहिये था। भविष्य में जनसूचना अधिकारी को आवेदनों का निराकरण करते समय सजग होकर न्यायसंगत निराकरण किये जाने की सलाह दी जाती है।

.....5

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनयम 2016 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में दिव्यांगजन शासकीय सेवक को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु फर्मों के पेमेंट किये जाने हेतु पृथक से किसी नियम के होने की आवश्यकता नहीं है। शासन, दिव्यांगजन शासकीय सेवक की उनकी क्षमता अनुसार, उन्हें किसी भी कार्यालय में पदस्थ कर सकता है। अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन में वांछित जानकारी एवं प्रथम अपील आवेदन में संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा, उनके अधीन संपादित होने वाले कार्यों के फिजिकल वेरीफिकेशन हेतु साइट ना जाने संबंधी शिकायत का उल्लेख है, तत्संबंध में यदि ऐसी कोई स्थिति हो तो, उसके लिये सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के स्थान पर, अपीलार्थी पृथक से शिकायती आवेदन संबंधित कार्यपालन अभियंता से उच्च स्तर के किसी भी अधिकारी से कर सकते हैं।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-
(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

.....6

पृ.क्रं./218/बो.प्र./नि.स./2025/ 4033 नवा रायपुर, दिनांक 05/5/2025

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.आर.यादव, प्लाट नं. 4, सांई मंगलम के पास, विद्युत नगर दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) मो. 7999491838 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)